150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क–2/19 जयपुर, दिनांकः 29-5-20

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः– रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के संबंध में।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.02.2020 के माध्यम से सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त निर्गत किये गये है।

कार्मिक विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशोपरान्त भी कतिपय विभागों द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है तथा रोस्टर पंजिकाओं का संधारण नहीं किया जा रहा है जो कि स्वीकार्य स्थिति नहीं है। चूंकि उक्त सिद्धान्त/निर्देश विभिन्न वर्गो के आरक्षण प्रतिशत को त्रुटिरहित संचालित किये जाने में सहायक के रूप में कार्य करते है, अतः सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से सम्बन्धित पृथक–पृथक रोस्टर पंजिकाओं का संधारण किया जाना आवश्यक है।

सभी विभागों को अपने–अपने विभाग में सभी संवर्गो के लिए रोस्टर पंजिकाएँ संधारित करने हेतु 20.08.2020 तक का समय दिया जाता है। सभी विभागों द्वारा इस तिथि तक रोस्टर पंजिकाए पूर्ण कर दिनांक 31.08.2020 तक विभाग के शासन सचिव की ओर से इस आशय का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत किया जायेगा कि उनके विभाग में सभी सेवा संवर्गों के सम्बन्ध में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक–पृथक रोस्टर पंजिकाएँ पूर्ण रूप से संधारित है।

रोस्टर पंजिका संधारण एवं उक्त प्रमाण–पत्र के अभाव में दिनांक 31.8.2020 के पश्चात सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का व्यवधान होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी की होगी।

तदनुसार पुनः व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

२०/2020